न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 04 / 2017

अनवान

भँवरलाल उर्फ भँवरू पुत्र श्री बहादुर जाति काठात निवासी ग्राम सुहावा, तहसील–ब्यावर, जिला– अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री तुलवीरसिंह अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 26.04.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुहावा तहसील ब्यावर की वादग्रस्त आराजी ख0सं0 441 / 1 के रकबा 03–00–00 बीघा पर बाड़े बनाकर अतिक्रमण किया जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 24.10.2016 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आक्षेपित आदेश सें असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया। अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस दौरान लिखित बहस प्रस्तुत करने का निवेदन किया किन्तु आदेश सुनाये जाने तक उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई। अपील के मुख्य तथ्य यह है कि ग्राम सुहावा तहसील ब्यावर के वादग्रस्त खसरा सं0 441 रकबा 3–00–00 बीघा भूमि किस्म बारानी–3 पर अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय बहादुर उर्फ बादर द्वारा सन् 1989 से काश्त की जाती रही है। विवादित भूमि के पडौस के खसरा भूमि पर अपीलार्थी द्वारा 15 वर्ष पूर्व टयूब वेल खुदवाया गया जिससे विवादित खसरा भूमि पर सिचाई कर काश्त की गई। वाद ग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का पूर्वजो से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी को नोटिस का जवाब एवं साक्ष्य सबूत

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

26/4/17
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना मनमाने तरीके से एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय, नियम, कानून, व राजस्व मण्डल की नजीरों के विपरीत विधि विरूद्ध रूप से आक्षेपित आदेश 24.10.2016 द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल कर जुर्माना कायम किये जाने तथा निर्माण सामग्री/पत्थर को जब्त सरकार कर नियमानुसार निलामी किये जाने का पारित किया गया। अपीलार्थी भारतीय सेना की 13 वीं गर्नेनियर में सेवारत रहा तथा कारगिल युद्ध का सेना मेडलधारक है। अपीलार्थी द्वारा सेवारत रहते उच्च अधिकारियों के मार्फत उक्त खसरा नं0 441/1 रकबा 56–18–00 बीघा में से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे सेना के अधिकारियों ने अपनी सिफारिश के साथ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, अजमेर को प्रेषित किया था। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 निरस्त किया जावें तथा उक्त खसरा भूमि का प्राथमिक रूप से अपीलार्थी के नाम नियमन करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि रकबा 03–00–00 बीघा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2016 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/04/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner